राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, जयपुर

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

मुख्यालय : तृतीय तल, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेवेन्यू रिसर्च एण्ड एनालिसिस, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर (राजस्थान)

नागरिक अधिकार पत्र
(Citizen Charter)
2024

Rajasthan State Ganganagar Sugar Mills Limited

Centre of Excellence fir Revenue Research Building

Third Floor, Near Aranya Bhavan, Jhalana, Jaipur, Rajasthan

नागरिक अधिकार पत्र

(Citizen Charter)

1. प्रस्तावना :–

राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल एक सरकारी उपक्रम है।

- राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल को शुरू में 1945 में निजी क्षेत्र में 'द बीकानेर इण्डस्ट्रीयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बीकानेर' के रूप में शामिल किया गया था और 1945 से 1952 तक निजी तौर पर चलाया गया था।
- इसे दो वर्ष की अवधि के लिए राजस्थान सरकार को पट्टे पर दिया गया था।
- राज्य सरकार ने प्रबंध एजेंटों के शेयर खरीदे और कंपनी का नियंत्रण सरकार द्वारा ले लिया गया। 1 जुलाई, 1956 से राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, जयपुर राजकीय उपक्रम के रूप में कार्य कर रहा है। कंपनी के 99.97 प्रतिशत अंश राज्य सरकार के हैं तथा शेष अंशों पर निजी अंशधारियों का स्वामित्व है।

- राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल के मदिरालय तथा डिपो की वर्तमान स्थिति निम्न है:–

जोन का नाम	मदिरालयों की संख्या	मदिरालय के नाम	मदिरालयों से संबद्ध डिपो की संख्या
अजमेर	2	अजमेर–भीलवाड़ा	12
जयपुर	3	झोटवाड़ा (जयपुर), झुन्झुनूं, सीकर	17

जोधपुर	2	मण्डोर, सिरोही	15
कोटा	3	कोटा, बारां, बून्दी	08
उदयपुर	1	उदयपुर	09
सवाईमाधोपुर	4	भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, अलवर	13
बीकानेर	2	हनुमानगढ़, खारां (बीकानेर)	11
योग	**17**	**योग**	**85**

2. प्रयोजन :–

राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल के उद्देश्य हैं :–

- गन्ना से चीनी तथा गुड़ का निर्माण करना तथा चीनी, शीरा (मोलासिस) एवं गुड़ का विक्रय करना। शुगर मिल स्थित पावर प्लांट से सीजन के दौरान बिजली उत्पादन कर डिस्कॉम को बिजली आपूर्ति करना।
- राज्य के गन्ना उत्पादक किसानों को राज्य में शुगर मिल्स के माध्यम से गन्ने की फसल की उचित कीमत उपलब्ध कराना।
- संस्थान की गंगानगर जिले में स्थित डिस्टिलरी के माध्यम से रेक्टीफाईड स्पिरिट उत्पादन करना तथा **देशी मदिरा**, **राजस्थान निर्मित मदिरा**, **राजस्थान हेरिटेज मदिरा** का निर्माण करना।
- संस्थान एवं निजी मदिरा उत्पादकों द्वारा निर्मित देशी मदिरा, राजस्थान निर्मित मदिरा का संपूर्ण राजस्थान में आबकारी नियमानुसार वितरण करना।
- हैण्ड सेनिटाइजर का उत्पादन व विक्रय करना।

3. संस्थान की प्रशासनिक प्रक्रिया :–

संस्थान की अधिकांश प्रशासनिक प्रक्रिया ऑनलाईन है और उसके द्वारा **IEMS (Integrated Excise Management System)** के माध्यम से उसकी गतिविधियां पारदर्शी रूप से संपादित की जाती हैं।

संस्थान द्वारा सीएसआर के अन्तर्गत अपने नैगमिक सामाजिक दायित्वों का भी कुशलतापूर्वक निर्वहन किया जाता है। इसके अन्तर्गत समाज एवं नागरिक सेवा से जुड़े हुये अनेक कार्य प्रतिवर्ष संपादित किये जाते हैं।

संस्थान द्वारा राजस्थान की हेरिटेज मदिरा को रिवाईव करने, आदिवासी क्षेत्रों में महुआ उत्पादों का उपयोग करने, राज्य के फलों का वैकल्पिक उपयोग करने, सामान्य चीनी के अतिरिक्त गुड़ और जैगरी पाउडर बनाने आदि जैसे नवीन नवाचार किये जाते रहे हैं।

4. नागरिक अधिकार पत्र का उद्देश्य :–

नागरिक अधिकार पत्र का मुख्य उद्देश्य प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही, प्रक्रिया व कार्यों की समय–सीमा निर्धारित करना है। निगम के दायित्वों से जुडी समस्त गतिविधियों व कार्यों के त्वरित व पारदर्शी तरीके से निष्पादन हेतु निगम द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं की प्रदायगी हेतु सामान्य कार्यावधि निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है:–

क्र. सं.	कार्य	प्रक्रिया	उत्तरदायी अधिकारी	निर्धारित अवधि
क	**समामन्य कार्य संबंधी**			
1.	मदिरालय से मदिरा का डिपो पर निर्गम	मदिरालय प्रभारी द्वारा जारी OFS के आधार पर प्रभारी आबकारी अधिकारी द्वारा जारी परमिट से मदिरालय से डिपो पर मदिरा भेजी जाती है।	प्रभारी सहायक आबकारी अधिकारी मदिरालय तथा मदिरालय प्रभारी	परमिट में जारी वैधता अवधि अनुसार
2.	डिपो पर पहुँची मदिरा को अनलोडिंग (Unloading) करना	परिवहन पारपत्र की वेलिडिटी के अनुसार डिपो प्रभारी द्वारा MIS तैयार करना तथा डिपो पर उपलब्ध संवेदक लेबर द्वारा मदिरा अनलोडिंग करवाना।	डिपो प्रभारी	स्थान की उपलब्धता के अनुसार 1 से 2 कार्य दिवस
3.	देशी मदिरा, राजस्थान निर्मित मदिरा तथा हेरिटेज मदिरा का निर्गम	खुदरा मदिरा अनुज्ञाधारियों की ऑनलाईन इण्डेंट अनुसार डिपो प्रभारी द्वारा बिल तैयार कर मदिरा का निर्गम दिया जाता है।	डिपो प्रभारी	1 कार्य दिवस
4.	डिस्टिलरी अथवा मदिरालय से लेबोरेट्री, हॉस्पिटल, स्कूलों आदि को शोधकार्य हेतु उनकी आवश्यकतानुसार स्पिरिट का विक्रय	प्रभारी आबकारी अधिकारी द्वारा जारी पास के आधार पर मदिरालय से स्पिरिट का निर्गम।	प्रभारी सहायक आबकारी अधिकारी मदिरालय तथा मदिरालय प्रभारी	1 कार्य दिवस
5.	डिपो से हैण्ड सेनिटाइजर का विक्रय (a) निशुल्क वितरण (b) विक्रय	डिपो से निर्धारित दर पर सेनेटाइजर का विक्रय अथवा निर्देशानुसार निःशुल्क वितरण किया जाता है।	डिपो प्रभारी एवं उप महाप्रबन्धक (उत्पादन एवं वितरण)	1 कार्य दिवस
6.	प्राइवेट मदिरा सप्लायर्स को OFS का कार्य	ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से Auto Approval आधार पर संचालन	स्वतः अनुमोदन	तत्काल
7.	आवश्यकतानुसार मदिरा स्टॉक का डिपो से डिपो ट्रांसफर कार्य	ऑनलाईन परमिट के आधार पर ट्रांसफर करना	जिला आबकारी अधिकारी एवं डिपो प्रभारी	परमिट में जारी वैधता अवधि अनुसार

8.	लेबोरेट्री से सैम्पल जाँच कार्य	आधुनिक उपकरणों से विभिन्न निर्माण सामग्रियों की गुणवत्ता जाँच करवाना	प्रयोगशाला प्रभारी अधिकारी झोटवाड़ा	सैंपल की प्रकृति अनुसार 2 से 7 कार्य दिवस
ख	**भुगतान संबंधी**			
9.	शुगर फैक्ट्री गन्ना क्रय भुगतान	गन्ना पिराई सत्र में प्रत्येक 15 दिन में गन्ना क्रय का भुगतान	वरिष्ठ प्रबन्धक (लेखा), शुगर फैक्ट्री	पाक्षिक
10.	देशी मदिरा, राजस्थान निर्मित मदिरा, ई.एन.ए. एवं मदिरा निर्माण में प्रयुक्त सामग्री के क्रय का भुगतान	मदिरालय से बिल प्राप्त होने एवं जांच उपरान्त सही पाये जाने पर साप्ताहिक भुगतान किया जाता है।	वरिष्ठ प्रबन्धक (वित्त)	साप्ताहिक
11.	निविदा में बोली प्रतिभूति राशि की वापसी	सफल फर्म को क्रयादेश जारी किए जाने के पश्चात् असफल फर्म को उनके द्वारा जमा बिड सिक्योरिटी राशि राज. लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012, नियम 2013 के अनुसार वापस लौटा दी जाती है।	उपमहाप्रबन्धक (क्रय)	सफल फर्म को क्रयादेश जारी किए जाने के पश्चात् 7 कार्य दिवस में
12.	कार्य संपादन प्रतिभूति राशि	RTPP नियमानुसार निविदा/अनुबन्ध के समस्त दायित्व पूर्ण करने व कोई बकाया नहीं होने की स्थिति में कार्य संपादन प्रतिभूति राशि लौटा दी जाती है।	उपमहाप्रबन्धक (क्रय)	7 कार्य दिवस में
13.	निविदा अनुमोदन के उपरान्त क्रयादेश	निविदा का सक्षम स्तर से अनुमोदन पश्चात् फर्म के साथ अनुबन्ध निष्पादित कर क्रयादेश जारी किया जाता है।	उपमहाप्रबन्धक (क्रय)	सफल फर्म को स्वीकृति पत्र (LOA) जारी करने के पश्चात् LOA में निर्धारित अवधि (सामान्यतः 15 कार्य दिवस) में अनुबन्ध निष्पादित करने पर क्रयादेश जारी किया जाता है।

नोट :–

1. विभाग द्वारा अपनी विभिन्न नागरिक एवं विभागीय सेवाओं को ऑनलाईन, इन्टीग्रेटेड तथा यथा सम्भव ऑटोमेटेड करने का प्रयास किया जायेगा।
2. उक्त समयावधि सामान्य अधिकतम समयावधि है, जिसमें आवेदक के द्वारा वांछित सूचना या अभिलेख पूर्ति या त्रुटि निस्तारण का समय निहित नहीं है।